तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स
10/9/20	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार अ० है। मिसल वास्ते बहस में दिनांक 30.9.20 को पेश हो।
30/9/20	पत्रावली पेश हो वकील पक्षकार उपस्थित हो। अन्य पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अन्य पक्ष के अधिवक्ता की ओर से उक्त राजीनामा के विरुद्ध कोई आपत्ति बहस में प्रस्तुत किया गया। उक्त राजीनामा का व पत्रावली में संलग्न प्रपत्रों एवं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त राजीनामा स्वीकार किया जाना हो आज मुताबिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जावेगा 250 मिसल हो। पत्रावली फैसल उपरान्त बाद दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड मजिस्ट्रेट इटावा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा (राज0)

मिसल नं. 05/2020 निर्णय दिनांकः—05.10.2020

पीठासीन अधिकारी— रामावतार मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1— सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री महावीर जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

(वादी)

बनाम

1— महावीर पुत्र सुरजमल जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

2— पूजा पुत्री श्री महावीर जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

3— नीतू पुत्री श्री महावीर जाति मीणा निवासी केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज0)

4— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)

(प्रतिवादीगण)

1— वादीगण की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा एडवोकेट

2— प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से श्री पृथ्वीराज वैष्णव एडवोकेट

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88,188 आर .टी .एक्ट.

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2073—2076 की खाता संख्या 108 में खसरा संख्या 112 रकबा 0.97 है0, खसरा संख्या 551 रकबा 1.22 है0, खसरा संख्या 564 रकबा 1.11 है0, खसरा संख्या 567 रकबा 2.09 है0, खसरा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

ख्या 569 रकबा 0.75 है0, कुल किता 5 की रकबा 6.14 है0 भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 2 व 3 के पिता , प्रतिवादी क्रम 1 की खातेदारी में दर्ज है। जिसे आगे वाद पत्र में विवादित भूमि संबोधित किया गया है।

यह कि उक्त वर्णित विवादित आराजी वादीगण की पेतृक सम्पत्ति है। उक्त पेतृक सम्पत्ति जो प्रतिवादी क्रम 1 को उनके पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। इस प्रकार विवादित भूमि पैतृक होनें से वादी का जन्म से ही विवादित भूमि में हित उत्पन्न हो गया है व वादी अपने निहित 1/2 हिस्से की भूमि खातेदारी की घोषणा करवा कर पृथक बॅटवारा करवाने का कानूनी अधिकारी है। विवादित भूमि में वादीगण का जन्म से ही हित निहित है तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 इसी अनुरूप विवादित भूमि पर अपने- अपने हित के अनुसार भूमि शांतिपूर्वक काबिज काश्त रहे है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नाम न होने से वादी को भू-सुधार , कृषि ऋण प्राप्त करने व अन्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होने लग गई है। इन परिस्थितियों में वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय की सहायता से स्वंय के 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर पृथक से विभाजन करवाये।

यह कि पक्षकार मीणा जाति के सदस्य है तथा मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दु उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होता है तथा मीणा जाति के सदस्य शास्त्रीय हिन्दु विधि से शासित होते है जिसके अनुसार पुत्र होने की स्थिति में पिता की संम्पत्ति में पुत्री को कोई हित प्राप्त नहीं होता है। इसलिए वादी के रहते प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का विवादित भूमि में कोई हक निहित नहीं है। विवादित भूमि के किसी भी भाग पर प्रतिवादी क्रम 2 व 3 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वाद कारण दिनांक 11.11.2019 को वादी द्वारा उनके पिता प्रतिवादी क्रम 1 से बंटवारा करने बाबत निवेदन करने व उनके द्वारा इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ है।

अतः वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 की खाता संख्या 108 में खसरा संख्या 112 रकबा 0.97 है0, खसरा संख्या 551 रकबा 1.22 है0, खसरा संख्या 564 रकबा 1.11 है0, खसरा संख्या 567 रकबा 2.09 है0, खसरा संख्या 569 रकबा 0.75 है0, कुल किता 5 की रकबा 6.14 है0 भूमि में वादी को उनके निहित हिस्से 1/2 भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी के हिस्से की भूमि का पृथक से बंटवारा किया जाकर पृथक से लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः-

1- नकल जमाबन्दी सम्वत 2018-2021 खाता सं0 23 ग्राम केशोपुरा

2- नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2041 से 2060 ग्राम केशोपुरा

3- नकल नामान्तरकरण सम्वत खाता संख्या 196 ग्राम केशोपुरा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 108 ग्राम केशोपुरा

5– वारिस प्रमाण पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब पेश कर वाद पत्र की समस्त मदों को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी का जवाब सहमति पूरक होने से प्रकरण में तनकीयात की आवश्यकता नहीं है। प्रकरण में उभय पक्ष वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1ता 3 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। उक्त राजीनामा में विवादित आराजी में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को निम्नानुसार पृथक से करने में एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने में पक्षकारान के मध्य सहमति हुई है। पक्षकारान के मध्य सहमति से राजीनामा निम्न प्रकार पेश किया है।

1– सुरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर जाति मीणा का हिस्साः– (वादी)

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
564	1.11 है0	सम्पूर्ण
567	2.09 है0	सम्पूर्ण
कुल 2 किता	कुल रकबा 3.20 है0	–

2– महावीर पुत्र सुरजमल जाति मीणा का हिस्साः–(प्रतिवादी क्रम 1)

खसरा नम्बर	श्रकबा	दिशा
112	0.97 है0	सम्पूर्ण
551	1.22 है0	सम्पूर्ण
569	0.75 है0	सम्पूर्ण
कुल किता 3	कुल रकबा 2.94 है0	–

यह कि प्रतिवादी क्रम 2 व 3 उक्त कृषि आराजीयात में अपना कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती व उक्त राजीनामा से सहमत है।

प्रकरण में उभय पक्षकारान के मध्य हुये आपसी सहमति से प्रस्तुत बंटवारा व उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । राजस्व रिकार्ड का एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान के मध्य सहमति पूर्वक प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद स्वीकार होने योग्य है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
इटावा

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 को ग्राम केशोपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 की खाता संख्या 108 में खसरा संख्या 112 रकबा 0.97 है0, खसरा संख्या 551 रकबा 1.22 है0, खसरा संख्या 564 रकबा 1.11 है0, खसरा संख्या 567 रकबा 2. 09 है0, खसरा संख्या 569 रकबा 0.75 है0, कुल किता 5 की रकबा 6.14 है0 भूमि में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पृथक– पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामावतार मीना)

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

इटावा